# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट संख्या–01,सैक्टर–नॉलेज पार्क–4,ग्रेटर नोएडा सिटी,
गौतम बुद्ध नगर(उ0प्र0)

पत्रांक:अ0मु0का0अ0 / 2023 / पीओ–42 /1108 दिनांक 16-02-2023

387
02/16/2023, 18:01:

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण बोर्ड की 128वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 के मद संख्या–128 / 39 पर ग्रामीण आबादी के विस्तार हेतु देय 6 / 4 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के नियोजन एवं आवंटन की अपनाई जा रही प्रकिया एवं उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ अनुमोदित ग्रामीण आबादी 6 / 4 प्रतिशत के भूखण्डों के नियोजन की पालिसी निम्नवत् है।

1. भूखण्डो के नियोजन हेतु ग्रामवार कृषको की वरीयता सूची को अर्जन के अवार्ड की तिथि (सबसे पुराने को वरीयता देते हुए) एवं इसके बाद भी समानान्तर होने पर भूलेख विभाग द्वारा प्राप्त सूची के कम में नियोजन विभाग को सम्मिलित किये जाएगें। तद्कम में 6 / 4 प्रतिशत आबादी भूखण्डों हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जाएगी।
2. भविष्य में भूखण्डों के नियोजन हेतु निम्नानुसार श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा :–

| | |
|---|---|
| 1 | 40–60 वर्ग मीटर |
| 2. | 61–120 वर्ग मीटर |
| 3. | 121–200 वर्ग मीटर |
| 4. | 201–300 वर्ग मीटर |
| 5. | 301–400 वर्ग मीटर |
| 6. | 401–500 वर्ग मीटर |

उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त पात्रता सूची में अकित क्षेत्रफलों को नियोजन से पूर्व विघटन किया जायगा। उदाहरण स्वरूप 260 वर्ग मीटर का पात्रता प्राप्त होती है तो 200 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड तथा 60 मीटर पर दूसरा भूखण्ड का नियोजन किया जाये। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिकतम 500 वर्ग मीटर के भूखण्ड नियोजित किये जायेगें। भूखण्डों का विघटन के उपरान्त (सभी प्रकरणों में) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा व पात्रता सूची में अंकित क्षेत्रफल के अनुसार एक या एक से अधिक भूखण्ड नियोजित किये जाएगें।

3. उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 के अनुसार भूलेख विभाग से पात्रता सूची सत्यापित होने के उपरान्त नियोजन की कार्यवाही की जाये। जिस स्थान पर भूखण्डों का नियोजन प्रस्ताव तैयार किया जायेगा, उस भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में भूलेख विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा एवं परियोजन विभाग द्वारा स्थलीय सर्वे (With Dimension in auto CAD) उपलब्ध कराया जाएगा तथा भूलेख व परियोजना विभाग द्वारा अपनी आख्या स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि सन्दर्भित भूमि प्राधिकरण की अर्जित, कब्जा प्राप्त याद रहित रिक्त है।
4. उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 के कम में तैयार पात्रता सूची का सत्यापन ग्रामीण आबादी विभाग से इस आशय के साथ कराया जाना आवश्यक है कि सन्दर्भित सूची में अंकित पात्रता में अंकित खसरों के सापेक्ष कास्तकारों को पूर्व में भूखण्ड / भवन / क्योस्क आवंटित तो नही किया गया है,जिससे पुनः आवंटन की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।
5. उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 के कम में तैयार पात्रता सूची के अनुसार कास्तकारों के उनके ग्राम में ही अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि पर 6 / 4 प्रतिशत आबादी भूखण्डों का नियोजन किये जाएगें।
6. जिन ग्रामों में 6 / 4 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के नियोजन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्रामों के निकटवर्ती ग्राम तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित दूसरे ग्रामों में मूल कास्तकारों के वर्तमान तक पात्र सभी कास्तकारों के देय भूखण्डों के नियोजन उपरान्त अवशेष भूमि पर दूसरे ग्राम के भूखण्डों का नियोजन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जाएगा एवं ऐसे प्रकरणों में भूलेख,परियोजना व नियोजन विभाग द्वारा कमशः इस आशय का उल्लेख

किया जाये कि *सन्दर्भित ग्राम में अर्जित/कब्जा प्राप्त, रिक्त भूमि व वर्तमान तक प्राप्त पात्रता सूची में किसी कास्तकार का नाम नियोजन हेतु शेष नहीं हैं।*

7. तीन (3) किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्राम में यदि रिक्त भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसे ग्रामो के सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
8. नियोजन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जाने के उपरान्त सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रस्ताव पर जन सामान्य से 15 दिनों में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जायेगें तथा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाईड पर भी सार्वजनिक सूचना की प्रति को अपलोड की जाएगी। प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निराकरण के उपरान्त नियोजन विभाग द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

816
02.10.2023, 13:37:55

उपरोक्त प्रकिया अनुसार नियोजन प्रस्ताव के अनुमोदन उपरान्त समान आकार के भूखण्डों को ग्रामीण आबादी विभाग द्वारा कास्तकारों की उपस्थिति में ड्रा के माध्यम से एवं यूनिक आकार के भूखण्डों को अनुमोदित प्रस्ताव/मानचित्र में अंकित भूखण्ड संख्या के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

(अमनदीप डुली)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

816
02.10.20

प्रतिलिपिः

1. स्टॉफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदयस के संज्ञानार्थ
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस/पी/वी) के संज्ञानार्थ
3. समस्त विभागाध्यक्ष को अनुपालनार्थ। Mgr System P.S. 142512
4. गार्ड फाईल हेतु।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी